



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 880/2022

दिनांक /Date: 16/08/2022

संवाद-251

विषय:- अभ्यर्थियों का धन्यवाद ज्ञापन के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आज सचिव के रूप में मेरा अंतिम दिन है। चूंकि संवाद पृष्ठ पर अभ्यर्थियों से समय-समय पर विभिन्न मामलों पर आयोग की ओर से आपसे वार्ता होती रही है। अतः आज आयोग में सचिव का कार्यकाल पूरा करने पर आपसे विदा लेना आवश्यक समझता हूं।

आयोग ने अपने सीमित संसाधनों में अब तक 88 परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कुल 19390 पदों पर चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया। इसमें से 3245 पदों पर लिखित परीक्षा हुयी है व आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुछ पदों पर लिखित परीक्षायें होनी हैं।

अभ्यर्थियों के सहयोग व सहभागिता से परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता के कई कार्य इस अवधि में किये गये। ऑनलाइन परीक्षायें सफलतापूर्वक प्रारम्भ की गयी। परीक्षा की क्लबिंग के बारे में आपके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर परीक्षाओं को समय पर पूरा करने में अत्यधिक सहयोग मिला है। इन सभी अच्छे कार्यों का विस्तृत ब्योरा देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि आप इससे भिन्न हैं।

कई अवसरों पर आयोग के कार्य की आलोचना व विरोध भी हुआ है, उसके बाद भी आयोग का पक्ष पारदर्शिता से अभ्यर्थियों के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थियों की स्वस्थ आलोचना आयोग के कार्यहित में है, किंतु एक सीमा से अधिक बढ़ जाना या उसका धृष्टता के स्तर पर जाना स्वस्थ परम्परा नहीं है। अच्छे निर्णयों के लिए आयोग को आपके समर्थन की हमेशा आवश्यकता है, जिससे आयोग अच्छी मनःस्थिति से चयन का कार्य सम्पादित कर सकें।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की अस्वीकार्य घटना हुयी किंतु आयोग की FIR पर राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से जांच कार्य किया गया है, वह सराहनीय है। आशा है शीघ्र ही इस अपराध व साजिश के तन्त्र को उजागर किया जायेगा। ऐसे मामलों की उचित जांच से इन अपराधों को लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा व नकल माफिया हतोत्साहित होंगे। निश्चित ही इससे भविष्य की परीक्षाओं में शुचिता बढ़ेगी। मुझे आशा है कि ऐसे अन्य मामलों में भी तत्परता से जांच पूरी होगी। आयोग ने ऐसे मामलों को हमेशा अत्यंत गंभीरता से लिया है।

इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा एक नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

क्रमशः—02

उत्कृष्टता


पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता

इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली नकल या अनुचित साधन के प्रयोग या उसके प्रयास हेतु गंभीर सजा तथा किसी व्यक्ति या नकल माफिया का सहयोग लेकर अनुचित साधनों के प्रयोग पर उससे भी गंभीर दण्ड व जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में भविष्य में आयोग की परीक्षाओं में ऐसे कृत्य या उसका प्रयास भी आपको गंभीर संकट में डाल देगा अतः प्रत्येक दशा में शुचिता से परीक्षा देने व चयन के दौरान स्वच्छ व्यवहार की आदत रखें। यही सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित होगा।

परीक्षा कार्यों के लिए सचिव के रूप में पिछले 5 वर्ष 5 माह में किये गये कार्यों की मुझे प्रसन्नता है। इस समय अवधि में आप सभी अभ्यर्थियों से जो सकारात्मक सहयोग मुझे मिला है वह मेरे लिए एक पूंजी है। आशा है आयोग में कार्य करने वाली नई टीम को भी ऐसा सहयोग आपसे प्राप्त होगा।

मैं सभी साथी अभ्यर्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता हूँ।

आयोग की ओर से,  
  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।